इस योजना के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकोत्तर विभाग का उन्नयन करने का भारतीय पद्धति को विभिन्न विशिष्टताओं के विद्यमान स्नातकोत्तर विभागों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

2. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के कार्मिकों के पुनराभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए योजना

इस योजना के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के शिक्षकों और चिकित्सकों के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के कालेजों/संस्थानों के माध्यम से पुनराभिविन्यास प्रशिक्षण तथा इन पद्धतियों के विशेषीकृत क्षेत्रों जैसे क्षार सूत्र, पंचकर्म योग तथा दन्तय चिकित्सा में प्रशिक्षण दिया जाता है।

3. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के स्नातक पूर्व कालेजों के सुदृढ़ीकरण तथा विकास हेतु वित्तीय सहायता की योजना।

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी में सुधार करने तथा सुदृढ़ करने के लिए सहायतानुदान प्रदान की जाती है:–

(i) अस्पताल/शिक्षण विभाग, उपकरण/ पुस्तकें/ पुस्तकालय के लिए फर्नीचर

(ii) अस्पताल/छात्रावास/कालेज के भवन आदि का निर्माण

4. चिकित्सीय पादपों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना

इस योजना का उद्देश्य भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी में प्रयुक्त चिकित्सीय पादपों की खेती के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

5. भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधों के भेषज-संग्रह संबंधी मानकों का विकास करने के लिए योजना

इस योजना के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधों के लिए भेषज संग्रह संबंधी मानकों का विकास करने के लिए आयुर्वेदिक भेषज संग्रह संबंधी समिति का सुदृढ़ीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण-II

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के विकास से संबंधित नौवीं योजना के लिए योजनाएं/कार्यक्रम

1. आयुर्वेद संकाय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर और स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर (गुजरात) को सुदृढ़ करने की योजना।
2. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलूर में आयुर्वेद विभाग की स्थापना करने की योजना।
3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भारतीय चिकित्सा पद्धति के विशेषीकृत उपचार के लिए गैर-सरकारी संगठनों के अस्पतालों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना।
4. भारतीय चिकित्सा पद्धति बौद्धिक सम्पदा संबंधी अधिकारों के लिए एक स्वकृत प्रकोष्ठ की स्थापना करने की योजना।
5. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथिक पर अन्तराष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रम/ सेमिनार/कार्यशालाओं के लिए सहायता प्रदान करने की योजना।
6. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के नए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय खोलने के लिए योजना।
7. भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के निवारक तथा प्रोत्साहक कार्यक्रमों के माध्यम से "सबके लिए स्वास्थ्य" के लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना।
8. बाह्य अनुसंधान परियोजना-अनुसंधान संस्थानों (निजी/अर्ध सरकारी/सरकारी/विश्वविद्यालयों/ गैर-सरकारी संगठनों आदि) के माध्यम से अनुसंधान परियोजनाओं, हेतु सहायता प्रदान करने की योजना।
9. सूचना, शिक्षा एवं संचार से संबंधित कार्यक्रमों की सहायता करने की योजना।
10. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के जिला अस्पतालों को सुदृढ़ करने/स्थापना करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

Pilot Project on Oral Health Care

369. SHRI AKHILESH DAS: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is fact that a pilot project on

oral health care has been initiated in some States in the country;

(b) what are the details of this pilot project and the names of States which will get the benefit of this programme;

(c) whether this programme is likely to be extended in other States;

(d) if so, the criteria adopted for selection of areas/States; and

(e) by when such a project is likely to be sanctioned for Uttar Pradesh?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) Yes, Sir.

(b) Pilot Project on comprehensive Oral Health Care was launched on 13.7.1995. The main emphasis in this Pilot Project is on preventive care by the community through self-care measures focussing on use of flourides, reduction in sugar consumption and smoking and improved oral cleanliness. The Project is being implemented in the States of Himachal Pradesh, Haryana, Punjab, Delhi and Rajasthan.

(c) to (e) The project is being implemented in the States mentioned in answer to part (b) of the Question on a pilot basis and is to be extended to other States in the country in a phased manner subject to the availability of funds.

Miserable Condition of Delhi based Hospitals

370. SHRI GYAN RANJAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem which appeared in the Hindustan Times, dated 19-1-97 regarding miserable condition of Delhi hospitals;

(b) if so, whether Government was aware of all these irregalarities and shortcomings reported and also about the life saving machines and equipments being out of order for several months;

(c) whether doctors, specialists in particular diseases are not available and the poor patients are [illegible]

(d) whether sanitation conditions of the hospitals are worst; and

(e) what steps are being taken to remove the said shortcomings and irregularities in the Delhi based hospitals?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) and (b) Yes, Sir. The news item relates to Safdarjang Hospital. The CT Scan machine in this hospital has been repaired and is in working order and other life saving equipments have either been repaired or the process for repair is underway, which is an ongoing process. The matter has been reviewed recently and the guidelines issued are given in the Statement (*See* below).

(c) At times specialists, doctors in particular diseases are not available in the hospital however, such patients are taken care of by making alternative arrangements.

(d) Every effort is made by the hospital authorities to see that sanitary conditions in the hospital are maintained at an optium level. Special weekly meetings are held with the Central Public Works Department (CPWD) to ensure safe and clean environment in the hospital.

(e) The functioning of Central Government hospitals is reviewed periodically by the Dte. G.H.S./Ministry and by the Medical and Public Health Department of the Government of NCT of Delhi in respect of hospitals under their control and action is taken to remove the short comings noticed.

Statement

Guidelines Referred to in Reply to Part (a) of the Unstarred Question No 370 Dated 25-2-1997.

No. C. 13019/15/95-MH(i)

Directorate Genetal of Health Services

(M.H. Section)

Nirman Bhawan, New Delhi.

Dated 24th Jan., 1997.

To

1. The Medical Supdt.
   Dr. R.M.L. Hospital
   New Delhi.